Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **राजसमंद में डिस्कॉम का इलेक्ट्रीशियन द्वितीय 2 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *08 जनवरी, सोमवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर राजसमंद इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये अशोक शर्मा, हाल इलेक्ट्रिशियन द्वितीय कार्यालय सहायक अभियंता अ.वि.वि.नि.लि. रेलमगरा जिला राजसमंद को परिवादी से **2 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (कार्यवाहक महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की राजसमंद इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरी कृषि भूमि पर लगे हुए विधुत कनेक्शन को हमारे दादाजी व पिताजी की मृत्यु उपरान्त मेरे नाम पर स्थानान्तरण करवाने की एवज में एईएन ऑफिस रेलमगरा के इलेक्ट्रिशियन द्वितीय अशोक शर्मा द्वारा **2 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस, श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी की राजसमंद इकाई के **पुलिस निरीक्षक श्री मन्शाराम** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये अशोक शर्मा पुत्र स्व. श्री जगदीश चन्द्र शर्मा निवासी जणूदा खेडी, पुलिस थाना कुंवारिया जिला राजसमंद, हाल इलेक्ट्रिशियन द्वितीय कार्यालय सहायक अभियंता अ. वि.वि.नि.लि. रेलमगरा जिला राजसमंद को परिवादी से **2 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस, श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ एवं आवास व अन्य ठिकानो पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (कार्यवाहक महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्व अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्व भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।